दूरभाष सं0 220228
Phone No. 220228
फैक्स सं0 220614
Tele Fax. 220614

पत्रांक :216 / आशियाना पार्क / 17,
Letter No.

कार्यालय छावनी परिषद, रानीखेत।
Office of the Cantonment Board, Ranikhet

दिनांक मार्च, 2017.
Dated 04 Mar. 2017.

सेवा में,
To,
स्थानीय संवादाता,
अमर उजाला / दैनिक जागरण, रानीखेत।

विषयः– **विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

प्रिय महोदय,

कृपया निम्न सूचना को अपने आगामी अंक में न्यूनतम सरकारी दरों पर प्रकाशित कर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय में भुगतान करनें हेतु प्रेषित करनें की व्यवस्था करें।

(ज्योति कपूर)
(Jyoti Kapoor).
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
Chief Executive Officer,
छावनी परिषद, रानीखेत।
Cantonment Board,Ranikhet.

प्रतिलिपि–
Copy to :-
1- मो0 अकील अहमद सिद्दीकी, प्रोग्रामर, – सूचना को बेवसाईड पर अपलोड करनें हेतु।
2- खजांची, छावनी परिषद, रानीखेत – सूचनार्थ।

छावनी परिषद, रानीखेत,
निविदा सूचना(दुकान आवंटन)।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं, कि छावनी परिषद,रानीखेत द्वारा आशियाना पार्क के निचले गेट एवं ऊपरी गेट में स्थित दुकान को 03 वर्ष के संचालन हेतु निविदा दिनांक 22 / 03 / 2017 को सांय 03:00 बजे तक छावनी परिषद कार्यालय रानीखेत में आंमत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 04:00 बजे खोली जायेगी, निविदा हेतु अग्रिम धनराशि रु. 10,000 / – बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद, रानीखेत के पक्ष में देय हो इस कार्यालय में जमा करना आवश्यक हैं। निविदा फार्म इस कार्यालय से रु0 500 / – के नगद भुगतान पर दिनांक 21 / 03 / 2017 से दिनांक 22 / 03 / 2017 तक दोपहर 1:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

नियम एवं शर्तो तथा अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के दूरभाष सं0 **05966--220228** पर सम्पर्क किया जा सकता हैं, अथवा कार्यालय के बेवसाईट **www.cbranikhet.org.in** पर लॉगआन किया जा सकता हैं।

पत्रांक – 216 / आशियाना पार्क / 17
दिनांक – 04 मार्च, 2017

(ज्योति कपूर)
(Jyoti Kapoor).
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
Chief Executive Officer,
छावनी परिषद, रानीखेत।
Cantonment Board, Ranikhet.

नियम व शर्त

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने के लिये एक निर्धारित प्रपत्र (जो इस कार्यालय में रु0 500/- के नगद भुगतान पर उपलब्ध हैं) मैं अग्रिम धनराशि रु0 10,000/- (बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य अधिशासी अधिकारी के नाम पर बन्धक हो) जमा करना अनिवार्य होगा। केवल वे व्यक्ति ही निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके द्वारा अग्रिम धनराशि जमा की गयी हो। उक्त आवेदन प्रपत्र छावनी परिषद, कार्यालय से नगद भुगतान पर दिनांक 21/03/2017 से 22/03/2017 तक अपरान्ह 1:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. सफल निविदादाता के अलावा सभी असफल निविदादाता की अग्रिम धनराशि निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर लौटा दी जायेगी, एवं सफल निविदादाता की अग्रिम धनराशि जमानत में समायोजित कर ली जायेगी।

3. सफल निविदादाता को जमानत राशि रु0 25,000/– निविदा स्वीकृत होने के 15 दिवस भीतर इस कार्यालय में जमा करनी होगी।

4. सफल निविदादाता को रु0–100 को नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

5. दुकान संचालन की अवधि सफल निविदादाता को दुकान का कब्जा सौंपने की तिथि से 03वर्ष तक वैध होगी।

6. सफल निविदादाता को लाइसैंस शुल्क के अतिरिक्त जलकर, अपमार्जनकर, व्यवसाय कर तथा अन्य कर भी छावनी नियमानुसार देय होगे।

7. सफल निविदादाता द्वारा दुकान के किराये की धनराशि एवं छावनी करों का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह तक अनिवार्य रुप से किया जाना होगा, विलम्ब से भुगतान किये जाने पर रु0 200/– प्रतिदिन की दर से 10 दिनों की अवधि के अन्दर भुगतान करना होगा। यदि लाइसैंसी द्वारा उक्त अवधि में भी भुगतान नहीं किया गया तो दुकानो का कब्जा छावनी परिषद, द्वारा लेकर जमानत राशि जब्त की जा सकती हैं।

8. ऐसी व्यक्ति जिन पर छावनी परिषद, का कोई कर अथवा देयक से शेष हो निविदा में भाग नहीं ले सकते है, अतः इच्छुक निविदादाता छावनी परिषद के सभी करों अथवा देयको का भुगतान निविदा की तिथि से पूर्व छावनी परिषद को करना सुनिश्चित कर दे, एवं छावनी परिषद के राजस्व अनुभाग से इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न कर ले।

9. सफल निविदादाता को कब्जा ग्रहण करने से पूर्व छावनी परिषद, के साथ निर्धारित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध अपने व्यय पर करना होगा।

10. निविदा को स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार छावनी परिषद, को होगा एवं उसे यह अधिकार भी सुरक्षित होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकती है।

11. सफल निविदादाता को दुकान में चलाये जाने वाले व्यवसाय का परिषद से लाइसैंस प्राप्त करना आवश्यक होगा उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यवसाय दुकान में नहीं किया जायेगा।

12. यदि दुकान में आवश्यक मरम्मत आदि की जरुरत होती हैं तो परिषद की पूर्व अनुमति लेकर ही दुकान में आवश्यक मरम्मत आदि का कार्य किया जा सकता हैं।

13. अनुबन्ध की शर्तो का पालन न करने पर लाइसैंस निरस्त कर दुकान का कब्जा परिषद द्वारा लिया जा सकता हैं।

14. यदि सफल निविदादाता दुकान का कब्जा लाइसैंस अवधि की वैधता के भीतर अपनी स्वेच्छा से छावनी परिषद को सौंपना चाहता है तो तत्सम्बन्धित सूचना दुकान छोड़ने के 03 माह पूर्व परिषद को प्रेषित करनी होगी।

15. सफल निविदादाता द्वारा विद्युत एवं जल सम्बन्धी देयको का भुगतान स्यंम किया जायेगा।

16. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी करों का भुगतान सफल निविदादाता को नियमानुसार करना होगा।

17. सफल निविदादाता उक्त दुकान में डिब्बा बन्द खाद्य प्रदार्थो, साफ्ट ड्रिंग्स, पानी की बोतल बेच सकेगा साथ ही फास्ट फूड जैंसे चाऊमीन, बर्गर, पेटीज, पेस्ट्री, समोसा, खाद्य प्रदार्थो के अतिरिक्त गिफ्ट सैन्टर, मोबाइल सैन्टर,सैलून, रेडीमेड गारमेन्टस्, बैंक एटीएम आदि का भी व्यवसाय कर सकेगा। दुकानों एवं खाद्य प्रदार्थो की स्वच्छता का विशेष रुप से ध्यान रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी समय निरीक्षण के दौरान कमियॅा पायी जाने पर निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

18. मुख्य अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यदि सफल निविदादाता द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त की अवहेलना की जाती हैं तो छावनी परिषद, द्वारा दुकान का संचालन निरस्त करते हुये दुकान को अपने नियंत्रण में ले लिया जायेगा।

19. सफल निविदादाता उक्त दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को Sub-let नहीं करेगा इसमें दुकान चलाने हेतु नौकर या कर्मचारी को छूट रहेगी और दुकान में किसी प्रकार का रददोबदल तोड़–फोड़ नहीं करेगा जिससे उसके मूल स्वरुप में सारभूत परिवर्तन हो जाय।

20. सफल निविदादाता द्वारा देय धनराशि का द्वितीय वर्ष में 5% एवं तृतीय वर्ष में 10% दर से बढ़ोत्तरी की जायेगी।

21. उपरोक्त सभी शर्ते अनुबन्ध का भाग मानी जोयेगी।

(ज्योति कपूर)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, रानीखेत।